(1)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला दूदू

मु0न0:– 48/2023 विविध
पीठासीन अधिकारी:–राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)
निर्णय दिनांक:– 23.07.2024

1. सुरजमल पुत्र रामजीवण जाति बारागांव ब्राहम्ण निवासी ग्राम फागी तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान।

प्रार्थी

बनाम

1. केदार पुत्र सूजालाल
2. कैलाश पुत्र सूजालाल
3. भोलूराम पुत्र सूजालाल
4. हनुमान पुत्र सूजालाल
5. छोटू पुत्र शंकरलाल
6. मुकेश पुत्र मूलचन्द
7. शारदा देवी पुत्री मूलचन्द
8. शिवजीराम तिवाडी पुत्र मंगलचन्द
9. पुष्पा देवी पुत्री राधाकिशन
10. मोहनी देवी पत्नी राधाकिशन
11. रामकल्याण पुत्र राधाकिशन
12. हनुमान पुत्र राधाकिशन
13. लाडा देवी धर्मपत्नि रामगोपाल
    समस्त जाति बारागांव ब्राहम्ण निवासी ग्राम फागी तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान।
14. तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला जयपुर राज०।

अप्रार्थीगण

उपस्थित विद्वान अधिवक्ता:– श्री प्रेमचन्द शर्मा वकील प्रार्थी
श्री कृष्ण कुमार लखेरा वकील अप्रार्थी सं. 1 लगा0 4
श्री गोपाल लाल चौधरी वकील अप्रार्थी सं. 8 व 13

प्रार्थना–पत्र धारा 111 एल.आर.एक्ट. पत्थरगढ़ी किये जाने बाबत

निर्णय दिनांक:– 23.07.2024

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि आराजी खतौनी संख्या 595 के आराजी खसरा नम्बर 8815 रकबा 0.4299 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 8816 रकबा 0.6575 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.0874 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम फागी दक्षिण पटवार हल्का फागी दक्षिण भू०भि०नि० क्षेत्र फागी तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान में स्थित आराजी का प्रार्थी एकमात्र रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। तथा मौके पर काबिज काश्त रहकर लगान सरकारी जमा करवाता चला आ रहा है। पडौसी खातेदारों द्वारा प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि में जब विवाद उत्पन्न करने लगे तो प्रार्थी ने आराजीयात भूमि का विधिवत रूप से दिनांक 29.05.23 को श्रीमान तहसीलदार साहब फागी के आदेश क्रमांक / एल. आर० /2022 /2334 दिनांक 01.06.2022

लगातार.....2

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला–दूदू

की पालना में ग्राम फागी दक्षिण के आराजी खसरा नम्बर 8815, 8816 कुल किता 2 कुल रकबा 1.0874 हैक्टेयर भूमि का सीमाज्ञान हेतु मय राजस्व रिकार्ड मौके पर पहुँचा मौके पर पहुँची। मौके पर खातेदार (काश्तकार) एवं पडौसी काश्तकार मौके पर उपस्थित मिले। ख०न० 8684 गै०मु०चाह को मुसिकल बिन्दु मानते हुये जरीब चलाकर ख0न0 8815 व 8816 के चारों सीमाओं का निर्धारण किया गया। प्रार्थी की आराजी ख0न0 8815, 8816 के अप्रार्थी सं0 1 ल० 13 पडौसी खातेदार काश्तकार है, परन्तु अप्रार्थी सं0 1 ल० 4 नहीं चाहते कि पडौसी खातेदार प्रार्थी अपनी भूमि पर सीमाज्ञान के अनुसार काबिज काश्त हो क्योकि अप्रार्थी सं01 ल० 4 संख्याबल में अधिक है जो जबरन प्रार्थी की है। भूमि मेड को तोडकर प्रार्थी की खातेदारी में घुसकर जबरन कब्जा करना चाहते है जबकि प्रार्थी अपनी भूमि मुताबिक सीमाज्ञान के अनुसार मौके पर पत्थरगढी करवाकर शाति पूर्वक काबिज होना चाहता जबकि अप्रार्थी सं01 ल० 4 विधि अनुसार किये गये सीमाज्ञान को नहीं मानते है, जबरन प्रार्थी की आराजीयात पर कब्जा करना चाहते है जिसका पडौसी खातेदारों को कोई विधिक अधिकार नही है इसके बावजूद पडौसी खातेदार काश्तकार प्रार्थी की आराजीयात के कब्जे काश्त में आये दिन मजाहमत करते है क्योकि मुताबिक सीमाज्ञान के पत्थरगढी नहीं हो रखी है। प्रार्थी बुर्जुग काश्तकार व्यक्ति है इसलिये प्रार्थी अपनी आराजी की सुरक्षा हेतु सीमाज्ञान दिनांक 29.05.2023 के आधार पर अपनी खातेदारी आराजी की पत्थरगढी करवाकर उसके चारों और हदूदू कायम कर तारबन्दी करवाना चाहता है ताकि प्रार्थी अपनी आराजी भूमि को उपजाउ बनायी जा सकें तथा आंवारा पशुओं से भी फसल की सुरक्षा की जा सकें। प्रार्थी द्वारा पटवारी हल्का फागी दक्षिण से करवाये गये सीमाज्ञान के पश्चात पटवारी हल्का द्वारा बताये गये सीमा चिन्ह पर पत्थरगढी होना अत्यन्त आवश्यक है ताकि पत्थरगढी के पश्चात भविष्य में सीमा चिन्हों को लेकर किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न नही हो सकें। इस कारण प्रार्थी का यह पत्थरगढी प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिम आया है। सीमाज्ञान दिनांक 29.05.2023 को किये गये सीमाज्ञान के अनुसार यदि प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जाकर पत्थरगढी कर दी जाती है तो मौके पर उपस्थित विवाद समाप्त हो सकेगा एवं प्रार्थी को न्याय मिल सकेगा। तथा पत्थरगढी किये जाने से किसी भी पडौसी काश्तकारों के हितों पर कोई विपरित प्रभाव नही पडेगा। श्रीमान न्यायालय को प्रकरण में पत्थरगढी के आदेश करने का क्षेत्राधिकार व श्रवणधिकार प्राप्त है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलवी जारी की गई।

लगातार 3

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला–दूदू

अप्रार्थीगण संख्या 5, 10, 11, 12 बाद तामील हाजिर अदालत नही आये। दिनांक 11.03.2024 अप्रार्थीगण संख्या 5, 10, 11, 12 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अप्रार्थीगण सं. 06, 07, 09 बाद तामील हाजिर अदालत नहीं आये। दिनांक 19.07.2024 को अप्रार्थीगण सं. 06, 07, 09 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। वकील अप्रार्थीगण संख्या 08 व 13 ने मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी किये जाने पर कोई आपत्ति प्रकट नहीं की। वकील अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 04 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा अपने जवाब के अतिरिक्त कथन में बताया कि आराजी खसरा नंबर 8815 व 8816 की भूमि वाके ग्राम फागी दक्षिण तहसील फागी का कभी कोई सीमाज्ञान मौके पर जाकर अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 04 की उपस्थिति में नहीं हुआ। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तथाकथित सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 29.05.2023 से भी स्पष्ट है कि पटवारी हल्का ने मौके पर जाकर सीमाज्ञान नहीं किया एवं न ही पडौसी खातेदारों को कभी कोई सूचना सीमाज्ञान बाबत नहीं दी गई। सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 29.05.2023 से स्पष्ट है कि पटवारी हल्का ने केवल एक मुस्तकिल बिन्दु से उक्त रिपोर्ट तैयार होना बताया है, जिससे भी चारों सीमाओं के निर्धारण हेतु कितनी ज रीब चलाई उसका उल्लेख नहीं है, जिससे यह रिपोर्ट अपने आप में ही सन्देहास्पद हो जाती है। इसके अतिरिक्त कानूनन सीमाज्ञान हेतु दोनो तरफ से मुस्तकिल बिन्दु से जरीब चलाकर चारों सीमाएं कायम करनी होती है लेकिन उक्त सीमाज्ञान रिपोर्ट से स्पष्ट है कि पटवारी हल्का ने कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं कर केवल घर बैठे ही उक्त रिपोर्ट तैयार की है जिसके आधार पर कोई पत्थरगढी की कार्यवाही नहीं की जा सकती है। सीमाज्ञान रिपोर्ट पर जिन व्यक्तियों को पडौसी खातेदार खातेदारी बताकर हस्ताक्षर करना बताया है, वे उक्त विवादित आराजी के पडौसी नहीं है। बल्कि वे प्रार्थी के परिवारजन ही है जिससे स्पष्ट है कि उक्त सीमाज्ञान रिपोर्ट केवल कागजों में ही तैयार की गई है जिसकी पुष्टि प्रार्थी द्वारा अपने अपने प्रार्थना पत्र से भी होता है कि उन्होंने उक्त प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 13 कायम किये है लेकिन वाद कारण अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 04 के विरूद्ध ही दर्शाया है। उक्त तथाकथित सीमाज्ञान रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील फागी द्वारा उक्त सीमाज्ञान हेतु आदेश दिनांक 01.06.2022 को किया गया जबकि उक्त सीमाज्ञान उसके करीबन 01

लगातार............4

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला—दूदू

वर्ष बाद दिनांक 29.05.2023 को किया गया। जिससे स्पष्ट है कि सम्पूर्ण प्रक्रिया बाला बाला तरीके से अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 04 की भूमि को हडपने के लिए की गई है जिसकी कोई सूचना अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 04 को नहीं दी गई। प्रार्थी ने गलत तथ्यों के आधार पर मात्र राजनैतिक द्वेषता से अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 04 को हैरान व परेशान करने हेतु बिना सीमाज्ञान किये बिना प्रस्तुत किया है, जो प्रथमतः ही खारिज किये जाने योग्य है।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन करने पर पाया की प्रार्थी ने हस्तगत प्रकरण पत्थरगढी का पेश किया है। उक्त विवादग्रस्त आराजी वाके ग्राम फागी दक्षिण में स्थित है। मुताबिक जमाबंदी 2072–2075 वाके ग्राम फागी दक्षिण के खाता संख्या 595 के खसरा नम्बर 8815 रकबा 0.4299 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 8816 रकबा 0.6575 हैक्टेयर, कुल किता 2 कुल रकबा 1.0874 हैक्टेयर में प्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हिस्सानुसार रिकार्डेड खातेदार है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के पैरा सं0 02 मे अंकित किया है कि पूर्व मे दिनांक 29.05.2023 को विधिवत रूप से सीमाज्ञान हो चुका है। सीमाज्ञान होने के पश्चात भी पडौसी काश्तकार आपस मे सीमाओं को लेकर विवाद करते है। इसलिये प्रार्थीगण अपनी सीमाओं की पत्थरगढी करवाना चाहता है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र मे पडौसी खातेदारों से विवाद होना बताया है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में पडौसी खातेदारान के मध्य अनावश्यक विवाद नहीं बढ़े एवं पडौसी काश्तकारों के मध्य शान्ति बनाऐं रखने हेतु न्यायालय सभी पडौसी खातेदारान की उपस्थिति में पुनः सीमाज्ञान करते हुए पत्थरगढ़ी किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खतौनी संख्या 595 के आराजी खसरा नम्बर 8815 रकबा 0.4299 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 8816 रकबा 0.6575 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.0874 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम फागी दक्षिण पटवार हल्का फागी दक्षिण भू०भि०नि० क्षेत्र फागी तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू राजस्थान में स्थित आराजीयात का सभी पडौसी खातेदारान को नोटिस जारी कर समस्त पडोसी खातेदारान की मौजूदगी में पुनः सीमाज्ञान करते हुए पत्थरगढी किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 23.07.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

23/7/24

(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला दूदू

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला दूदू